

## सड़क दुर्घटनाओं की मूक महामारी

यह एडिटोरियल 20/11/2023 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "Steering road safety in India back onto the right lane" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में सड़क सुरक्षा संकट और इस मुद्दे के समाधान के लिये तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता के संबंध में चर्चा की गई है।

### प्रलिमिस के लिये:

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2022, सुंदर समति, सड़क सुरक्षा के लिये संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई का दूसरा दशक 2021-2030, विकिलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (DALYs)

### मेन्स के लिये:

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ: आँकड़े, कारण और प्रभाव; सुंदर समति की सफारियाँ और आगे की राह

भारत का सड़क नेटवर्क एक वरिधाभासी स्थितिरखता है। एक ओर यह आवागमन, संपर्क, परविहन एवं यात्रा के लिये एक महत्त्वपूर्ण एवं विस्तारित अवसर प्रस्तुत करता है, जो देश के आधुनिकीकरण और उल्लेखनीय आर्थिक विकास के अनुरूप है, तो दूसरी ओर कई अन्य देशों की तरह भारत की सड़कें भी एक मूक लेकिन धातक संकट उत्पन्न करती हैं।

### भारत में सड़क दुर्घटनाएँ कर्तिनी घातक?

- सड़क परविहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 'भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2022' (Road Accidents in India-2022) रपोर्ट के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सड़क दुर्घटनाओं के कुल 4,61,312 मामले दर्ज किये गए जिसमें 1,68,491 लोगों की जान गई, जबकि 4,43,366 लोग घायल हुए।
  - यह पछिले वर्ष (2021) की तुलना में दुर्घटनाओं में 11.9%, मृत्यु में 9.4% और आघातों में 15.3% की वृद्धि को प्रकट करता है।
- WHO द्वारा प्रकाशित एक अन्य आँकड़े के अनुसार अनुमानित रूप से भारत में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 3,00,000 लोगों की मृत्यु होती है।
  - यह प्रत्येक दिन के प्रत्येक घंटे में 34 से अधिक लोगों की मौत के बराबर है। यह एक सामान्य अनुमान है, वास्तविक संख्या इससे अधिक भी हो सकती है।
  - सड़क दुर्घटनाओं में जीवन-प्रवित्रताकारी आघातों का सामना करने वाले लोगों की संख्या इससे भी कहीं अधिक है।
- सड़क सुरक्षा एक वैश्विक समस्या है, जहाँ हर साल सड़क दुर्घटनाओं में 13 लाख लोग मारे जाते हैं। चिताजनक है कि दुनिया भर में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली प्रत्येक चार मौत में से लगभग एक भारत में घटती होती है।

### भारत में सड़क दुर्घटनाओं के पीछे के प्राथमिक कारण

- ओवरस्पीडिंग (Overspeeding): नियंत्रित गतिसीमा से अधिक गतिरखने वाले वाहन चालक उल्लेखनीय जोखिम पैदा करते हैं। गतिसीमा के संबंध में जागरूकता की कमी और अपर्याप्त प्रवर्तन इस समस्या में योगदान करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2022 रपोर्ट के अनुसार ओवरस्पीडिंग या नियंत्रित गतिसीमा से अधिक गतिसीमा से वाहन चालन दुर्घटना का सर्वप्रथम कारण बना हुआ है जो भारत भर में कुल दुर्घटनाओं में 72.3% और सभी मौतों एवं आघातों में लगभग दो-तीहाई की हासिसेदारी रखता है।
- ड्रंक ड्राइविंग (Drunk Driving): शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चालन के दौरान चालक नियंत्रण और समन्वय की गलतियाँ करते हैं।
  - भारत में सड़क दुर्घटनाएँ-2022 रपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में घटती सड़क दुर्घटनाओं में 2.2% ड्रंक ड्राइविंग के कारण हुई।
- डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग (Distracted Driving): गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल, खाना-पीना या अन्य गतिविधियों में संलग्नता के कारण चालक का ध्यान भटक जाता है और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है।
  - आईआईटी बॉम्बे के एक सर्वेक्षण में पाया गया कठिनायत में शामिल सभी प्रतिभागियों में से लगभग 60% चालक गाड़ी चलाते समय फोन

का उपयोग करते थे।

- **कमज़ोर अवसंरचना और सड़क डिज़िग्नेशन:** अवसंरचना और सड़क डिज़िग्नेशन की गुणवत्ता सड़क सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका नभिती है। भारत में सड़कों के गड्ढे, रोड लेन्स का उपयुक्त रूप से मारकणि नहीं होना, सड़क संकेतों की अपर्याप्तता, सड़क पर रोशनी की कमी और पैदल यात्री सुवधाओं के अभाव जैसे कई कारक दुर्घटनाओं में योगदान करते हैं।
- **चरम मौसम दशाएँ:** चरम मौसम दशाओं में भी दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। धना कोहरा, अत्यधिक वर्षा, तेज हवाएँ और इस तरह की अन्य स्थितियाँ ड्राइविंग को व्यापक रूप से चुनौतीपूर्ण बना देती हैं, जिसके परणामस्वरूप यदि ड्राइवर अतरिकित सावधानी नहीं बरतते हैं तो भयानक दुर्घटनाओं की संभावना बनती है।
- **यातायात नियमों और वनियिमों का अनुपालन न करना:** यातायात नियमों और वनियिमों का पालन न करना सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय योगदान देता है।
  - **सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग न करना:** सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग नहीं करने से गंभीर चोटों और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
    - केंद्रीय सड़क परविहन मंत्रालय की एक रपिरेट के अनुसार वर्ष 2021 में देश भर में दुर्घटनाओं में मारे गए प्रत्येक 10 कार सवारों में से कम से कम आठ (लगभग 83%) ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा था।
    - **ट्रैफिक सगिनल का उल्लंघन:** ट्रैफिक सगिनल की अवहेलना, चौराहों पर ओवरट्रेक करना और लाल बत्ती पर नहीं रुकना गंभीर जोखिम उत्पन्न करते हैं।
      - एक रपिरेट के अनुसार, वर्ष 2020 में हुई कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 919 ट्रैफिक सगिनल की अवहेलना के कारण हुई, जिनमें 476 लोगों की मौत हुई।
      - **वाहनों की ओवरलोडिंग:** ओवरलोडेड वाणिज्यिक वाहन स्थरिता और कुशल गतशीलता की स्थितिको कमज़ोर करते हैं, जो फरि दुर्घटनाओं का कारण बनती है।
        - वर्ष 2020 में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोड ट्रकों के कारण कम से कम 10,000 लोग मारे गए और 25,000 घायल हुए।
  - **कमज़ोर प्रवरतन और शासन:** यातायात प्रवरतन और शासन की प्रभावशीलता का सड़क सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
    - **ट्रैफिक पुलसि की प्रथापत उपस्थितिका अभाव:** सड़कों पर ट्रैफिक पुलसिकरमयों की अपरापत उपस्थिति प्रवरतन प्रयासों को बाधित करती है। ट्रैफिक पुलसिकरमयों की संख्या और उनकी दृश्यता में वृद्धि से प्रवरतन की स्थिति बेहतर बन सकती है।
    - **उल्लेखनीय है कि भारत में 20 करोड़ वाहनों के यातायात को प्रबंधित करने के लिये महज 72,000 ट्रैफिक पुलसिकरमी मौजूद हैं।**
    - **भ्रष्टाचार और रशिवतखोरी:** ट्रैफिक पुलसिकरमयों की बीच व्यापत भ्रष्टाचार सड़क सुरक्षा प्रयासों को कमज़ोर करता है।
      - **ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International)** के अनुसार वर्ष 2022 में भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (Corruption Perceptions Index) में भारत 180 देशों की सूची में 85वें स्थान पर था।
  - **जागरूकता की कमी:** सेवलाइफ (SaveLIFE) के वर्ष 2019-20 के एक अध्ययन के अनुसार 37.8% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता था कि पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिये सीट बेल्ट लगाना अनविवाय नहीं है। जबकि कानून द्वारा पाली सीटों पर भी सीट बेल्ट के उपयोग को अनविवाय बनाया गया है, केवल 27.7% उत्तरदाताओं को इस कानून के बारे में पता था।

## भारत में सड़क दुर्घटनाएँ कथा प्रभाव डालती हैं?

- **आघात और अपंगता:** सड़क दुर्घटनाएँ गंभीर शारीरिक आघातों और अपंगता का कारण बन सकती हैं, जैसे हड्डी टूटना, शरीर का जलना, अंग-वच्छेदन, रीढ़ की हड्डी पर चोटें और मस्तिष्क पर लगी चोटें। ये पीड़ितों और उनके परवारों के जीवन की गुणवत्ता एवं कल्याण को प्रभावित कर सकते हैं।
  - WHO के अनुसार भारत में 15-29 आयु वर्ग के लोगों में **वकिलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (Disability-Adjusted Life Years-DALYs)** की हानिका एक प्रमुख कारण सड़क यातायात संबंधी चोटें हैं।
- **मनोवैज्ञानिक आघात और तनाव:** सड़क दुर्घटनाएँ मनोवैज्ञानिक आघात और तनाव का कारण भी बन सकती हैं, जैसेपोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD), दुश्चित्ति (anxiety), अवसाद (depression) और पीड़ा (grief)। ये पीड़ितों और उनके परवारों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्थरिता को प्रभावित कर सकते हैं।
- **प्रयिजनों की मृत्यु और हानि:** सड़क दुर्घटनाओं के परणामस्वरूप प्रयिजनों की मृत्यु और हानिकी स्थितिबन सकती है, जिसका पीड़ितों और उनके परवारों के लिये बनिशकारी एवं अपरविरतनीय परणाम उत्पन्न हो सकता है।
- **सामाजिक असमानता और अपवर्जन:** सड़क दुर्घटनाएँ सामाजिक असमानता और अपवर्जन की स्थितिको बढ़ा सकती हैं, क्योंकि पैदल यात्री, साइकिल चालक, मोटरसाइकिल चालक और सार्वजनिक परविहन के उपयोगकर्ता जैसे गरीब एवं कमज़ोर समूहों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। इन समूहों के पास प्रायः सुरक्षाएँ एवं कफियती परविहन, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच का अभाव होता है।
  - **संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ता (Vulnerable road users)**—जिनमें पैदल यात्री, साइकिल चालक और दोपहिया वाहन सवार शामिल हैं, भारत में सड़क पर होने वाली माँतों में लगभग तीन-चौथाई हस्सेदारी रखते हैं।
- **उत्पादकता और आय का नुकसान:** सड़क दुर्घटनाओं से उत्पादकता और आय का नुकसान हो सकता है, क्योंकि वे कार्यबल की क्षमता एवं उपलब्धता को प्रभावित करते हैं और पीड़ितों एवं उनके परवारों की कमाई की क्षमता एवं बचत को कम करते हैं।
  - भारत में सड़क दुर्घटनाओं की लागत **सकल घरेलु उत्पाद** का 5-7% होने का अनुमान है।
- **स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी लागत में वृद्धि:** सड़क दुर्घटनाएँ स्वास्थ्य देखभाल और कानूनी लागत में भी वृद्धिकर सकती हैं, क्योंकि उन्हें चकितिसा उपचार, पुनर्वास, मुआवजा और मुकदमेबाजी की आवश्यकता होती है। ये सार्वजनिक और नज़ीज़ी क्षेत्रों तथा पीड़ितों और उनके परवारों पर भारी बोझ डाल सकते हैं।

- सड़क परविहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कराये गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में सड़क दुर्घटना की औसत सामाजिक-आर्थिक लागत थी:
  - मृत्यु के लिये: 91 लाख रुपए
  - गंभीर आघात/धायलावास्ता: 3.6 लाख रुपए

## सड़क दुर्घटनाओं की मूक महामारी से नपिटने के लिये क्या कथिा जाना चाहयि?

- सीटबेलट और हेलमेट के उपयोग का कठोरता से प्रवरतन:
  - WHO की एक रपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सीट-बेलट लगाने से ड्राइवरों और आगे की सीट पर बैठे लोगों के लिये मृत्यु एवं गंभीर चोटों का जोखमि 25% तक कम हो जाता है।
- जागरूकता अभियान:
  - सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जनता को शक्षिष्ठि करने के लिये संयुक्त राष्ट्र के #MakeASafetyStatement जैसे बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान शुरू कथिा जाएँ।
- गतिसीमा प्रवरतन और ड्रंक-ड्राइविंग वरिधी उपाय:
  - बेहतर यातायात प्रबंधन प्रणाली और नगिरानी सहति वाहनों की ओवरस्पीडिंग को कम करने के उपाय लागू कथिा जाएँ।
  - ड्रंक ड्राइविंग के प्रतिशूल्य सहनशीलता हो जहाँ उल्लंघनकरताओं के लिये सख्त दंड का प्रावधान हो।
- अवसंरचनात्मक सुधार:
  - दुर्घटनाओं में योगदान देने वाले मुद्दों को संबोधति करते हुए सुरक्षित दशाएँ सुनिश्चिति करने के लिये सड़क अवसंरचना को बेहतर बनाया जाए।
  - सड़क सुरक्षा में तेज़ी से सुधार के लिये कर्यान्वयिति सरकारी कार्यक्रमों में निवेश कथिा जाए।
- संवेदनशील सड़क उपयोगकरताओं पर ध्यान केंद्रति करना:
  - पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और दोपहिया सवारों सहति संवेदनशील सड़क उपयोगकरताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दें, जो सड़क पर होने वाली मौतों में एक उल्लेखनीय हसिसेदारी रखते हैं।
  - ऐसे अवसंरचनात्मक और जागरूकता कार्यक्रम वकिसति कथिा जाएँ जो इन उपयोगकरताओं के लिये वशिष्ट रूप से अनुकूलति हों।
- अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाना:
  - सफल अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभ्यासों का अध्ययन कथिा जाए और भारत की वशिष्ट आवश्यकताओं एवं प्रसिद्धियों के अनुसार उन्हें अनुकूल बनाया जाए।
    - नीदरलैंड का 'स्स्टेनेबल सेफ्टी वज़िन' एक सुरक्षिति सड़क प्रणाली का नरिमाण कर दुर्घटनाओं को रोकने और दुर्घटना की गंभीरता को कम करने पर केंद्रति है।
      - यह पाँच सदिधांतों पर आधारति है: कार्यक्रमता, एकरूपता, पूर्वानुमेयता, क्षमाशीलता और राज्य जागरूकता।
      - इस वज़िन के तहत लागू कथिा गए कुछ उपाय हैं: सड़क वर्गीकरण, गोल चक्कर का नरिमाण, साइकिल पथ और यातायात को सुगम रखना (traffic calming)।
    - जापान ने सड़क यातायात से होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी की स्थिति प्राप्त की है, जो वर्ष 1990 में 16,765 से घटकर वर्ष 2019 में 3,215 रह गई।
      - इसने वभिन्न उपायों को लागू कथिा है, जैसे यातायात कानूनों को सख्ती से लागू करना, सड़क अवसंरचना में सुधार, सीट बेलट एवं हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देना और वाहनों में उन्नत सुरक्षा प्रौद्योगिकियों की शुरूआत करना।
      - जापान में एक व्यापक सड़क सुरक्षा शक्षिष्ठि प्रणाली भी मौजूद है, जो परी-स्कूल से लेकर वरषित नागरिकों के स्तर तक जीवन के सभी चरणों को कवर करती है।
- मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 का कार्यान्वयन:
  - [मोटर वाहन \(संशोधन\) अधिनियम, 2019](#) का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चिति कथिा जाए, जसिमें सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उपाय शामिल हैं।
- आपातकालीन देखभाल सेवाएँ:
  - सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिये उच्च गुणवत्तायुक्त आपातकालीन देखभाल सेवाओं और उचिति उत्तर देखभाल (after-care) तक पहुँच में सुधार करें।
  - वभिन्न राज्यों में समान उत्तरजीवति संभावना सुनिश्चिति करने के लिये आपातकालीन देखभाल में व्याप्त क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधति कथिा जाए।
- सार्वजनिक-नज़ी सहयोग:
  - सड़क सुरक्षा के लिये अभनिव समाधान वकिसति करने और कार्यान्वयिति करने के लिये सार्वजनिक एवं नज़ी क्षेत्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहिति करें।
  - नज़ी क्षेत्र की कपनयों के उन पहलों को समर्थन प्रदान कथिा जाए जो सड़क सुरक्षा सुधार में योगदान करती हैं। ऐसी कुछ पहलों में शामिल हैं:
    - मारुति सुजुकी द्वारा कर्यान्वयिति 'ड्राइव सेफ इंडिया कैम्पेन'
    - महाद्विरा एंड महाद्विरा द्वारा कर्यान्वयिति 'ड्राइव सेफ, ड्राइव स्मार्ट कैम्पेन'
- वैश्वकि पहलों के साथ संरेख्यण:
  - एक व्यापक सुरक्षिति-प्रणाली वृष्टकिलेण अपनाने के लिये वैश्वकि पहलों, जैसे कि [सड़क सुरक्षा के लिये संयुक्त राष्ट्र कारबाई का दूसरा दशक 2021-2030](#) (UN's Second Decade of Action for Road Safety 2021-2030) के साथ संरेख्यति हुआ जाए।

## सड़क सुरक्षा पर सुंदर समतिकी अनुशंसाएँ

- राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड (National Road Safety & Traffic Management Board) का गठन किया जाए जो देश में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष नकाय होगा। इसका गठन संसद के एक अधनियम के माध्यम से किया जाए और इसमें रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यातायात कानून, चकितिसा देखभाल आदि विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य और विशेषज्ञ शामिल किये जाएँ।
- इस राष्ट्रीय बोर्ड के समान कार्यों एवं शक्तियों के साथ प्रत्येक राज्य में राज्य सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड की स्थापना की जाए जो सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन के मुद्दों पर राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय का निर्माण करे।
- सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने तथा सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिये विशिष्ट लक्ष्यों, रणनीतियों और कार्य योजनाओं के साथ एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा योजना (National Road Safety Plan) का विकास किया जाए।
- दुर्घटना उत्तर देखभाल और आघात प्रबंधन में सुधार किया जाए और डेटा संग्रह, विश्लेषण एवं प्रसार के लिये मानकीकृत प्रारूपों एवं प्रोटोकॉल के साथ एक राष्ट्रीय सड़क दुर्घटना डेटाबेस एवं सूचना प्रणाली की स्थापना की जाए।
- समति ने वित्तीय सुनिश्चिति करने के लिये सड़क सुरक्षा कोष (Road Safety Fund) हेतु डिजिटल एवं पेट्रोल पर उपकर की कुल आय का 1% नियमित करने का सुझाव दिया है।
  - समति ने अन्य विभिन्न मुद्दों—जैसे सड़क दुर्घटनाओं को अपराधमुक्त करना, बीमा और समरपति राजमार्ग पुलिस आदि पर भी विचार किया है।

**अभ्यास प्रश्न:** भारत में सड़क दुर्घटनाओं से संबंध बहुमुखी चुनौतियों पर विचार कीजिये और उन व्यापक रणनीतियों के सुझाव दीजिये जिन्हें सरकार को सड़क दुर्घटनाओं की मूक महामारी से निपटने के लिये अपनाना चाहिये।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/unraveling-silent-pandemic-of-road-accidents>